



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १२, अंक २५]

गुरुवार, जून १८, २०२६/ज्येष्ठ २८, शके १९४८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
 (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
 वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
 जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
 इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, Dated the 18th June, 2026
 28 Jyaishta, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/MH/2025 (1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13B of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Maharashtra, hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 429/MH/2025(1), dated 31st January, 2025, relating to the appointment of Electoral Registration Officers for Assembly Constituencies in the State of Maharashtra namely;

In column 2 of the Table appended to the said notification for the existing entry against item under column 1, the following entry shall be substituted :—

TABLE

Number & Name of Assembly Constituency (1)	Electoral Registration Officer (2)
109 -Aurangabad East	Deputy Collector, Rehabilitation, Collector Office, Chhatrapati Sambhajanagar.
136 - Bhiwandi West	Deputy Collector and Forest Settlement Officer, Konkan
142 - Kalyan East	Deputy Collector (General), Collector Office, Thane

By Order,

AJOY KUMAR,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, दिनांक $\frac{18 \text{ जून, 2026}}{28 \text{ ज्येष्ठ, 1948 (शक)}}$ **अधिसूचना**

सं. 429/एमएच/ 2025 (1).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करके, एतद्द्वारा निदेश देता है कि महाराष्ट्र राज्य में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित आयोग की अधिसूचना सं. 429/एमएच/2025 (1), दिनांक 31 जनवरी, 2025 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, नामतः :—

स्तंभ (1) में उल्लिखित मद के सामने मौजूदा प्रविष्टि के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के स्तंभ (2) में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

तालिका

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या एवं नाम (1)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
109 - औरंगाबाद पूर्व	उप कलक्टर, पुनर्वास, कलक्टर कार्यालय, छत्रपति संभाजीनगर
136 - भिवंडी पश्चिम	उप कलक्टर एवं वन बंदोबस्त अधिकारी, कोंकण
142 - कल्याण पूर्व	उप कलक्टर (सामान्य), कलक्टर कार्यालय, ठाणे

आदेश से,

अजय कुमार,

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।